NIC MP CEMS (Common Election Management System)

समस्त प्रकार के निर्वाचनों की सम्पूर्ण प्रबंधन प्रणाली

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन जनवरी फ़रवरी 2022 में किए जाने थे जो की प्रकरण न्यायालयीन होने के कारण स्थगित हो गए थे . राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा NIC MP को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई । जिसके तहत CEMS राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार किया जाकर डाटा संकलन का कार्य किया गया । सम्पूर्ण राज्य के सभी जिलों में स्थित सभी संस्थाओं (केंद्र शासन /राज्य शासन/अर्ध शासकीय/शिक्षण संस्थाएं /बैंक बीमा) के लगभग 200 विभागों के 16500 कार्यालयों के लगभग 7.11 लाख से अधिक कार्मिकों का डाटा संधारण का कार्य किया गया । पश्चात इसके ऑफलाइन वर्ज़न में मतदान दलों के गठन एवं मतगणना दलों के गठन का रैंडमाइजेशन का कार्य स्थानीय स्तर पर (जिला स्तर पर) किया जाना था ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे जल्द करवाने के साथ ही तिथि घोषित किये जाने के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के आमनिर्वाचन का कार्यक्रम दिनाँक 27 मई 2022 को घोषित किया गया। इसका तीन चरणों में निर्वाचन होना था 25 जून ,1 जुलाई एवं 8 जुलाई 2022. सम्पूर्ण प्रक्रिया 30 मई से 15 जुलाई के मध्य होनी थी, जिसके अंतर्गत 52 जिलों के 313 विकासखंडों के 23998 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच और जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्यों को चुना जाना था । इस ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र थे लगभग 71642.

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा इन चुनावों की आचारसंहिता लगते ही राज्य के 10 संभागों के लिए सम्भागीय समन्वयक तैनात किए गए। उनको उनके प्रभार के जिलों के लिए जिम्मेदारी दी गई उनकी निगरानी एवं समस्याओं के समाधान के लिए पाबंद किया गया । उन्हे पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा नगरीय निकायों के निर्वाचन की तिथियाँ बाद में घोषित की जाएंगी । समय अत्यंत कम था, चुनौतियाँ भरपूर थीं । इसी बीच नगरीय निकायों के निर्वाचन तिथियों की घोषणा भी हो गई ये दिन था 1 जून 2022 और घोषित हो गई तारीखें 6 जुलाई एवमं 13 जुलाई और मतगणना तिथियाँ तय हुई 17 एवं 18 जुलाई 2022. पूरा कार्यक्रम 11 जून से 20 जुलाई तक सम्पन्न होना था । प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों जो की लगभग 409 हैं के अंतर्गत 16 नगर निगमों, 99 नगर पालिका परिषदों तथा 294 नगर परिषदों के लिए लगभग 7589 वार्डों के पार्षदों के चुनाव हेतु लगभग 21845 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 16 नगर निगमों के लिए महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से evm द्वारा सम्पन्न होना था ।

CEMS की कार्यप्रणाली मुख्यत: दो भागों में विभक्त है एक आनलाइन दूसरा ऑफलाइन

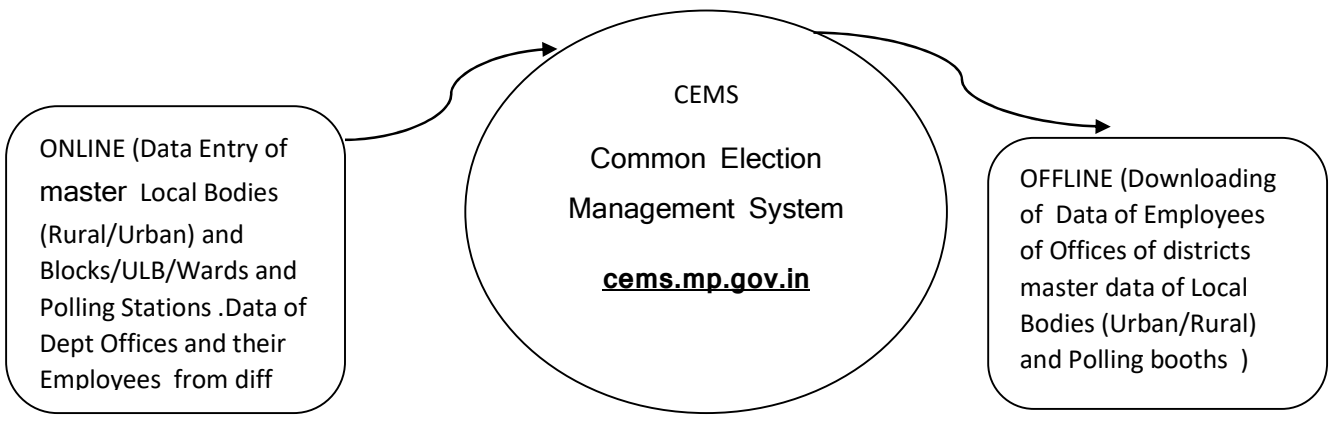

Online Module : म. प्र . राज्य में स्थित समस्त कार्यालयों का कार्मिक विवरण केन्द्रीकृत पोर्टल पर जिला स्तर पर उनके लॉगिन के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों द्वारा दर्ज किया गया है,जिनका सम्पूर्ण विवरण मय त्रुटियों के प्रकार की जानकारियों के साथ reports आवश्यक सुधार हेतु दर्शित है ,जिसे कार्यालय अपने लॉगिन से देखते हुए पुष्टि कर सकते जिलों में तीन प्रकार के Login प्रदान किए गए हैं

1. Ocpmp :जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेतु जो की admin है .
2. Dep : जिले के विभाग प्रमुखों को दिया गया उनके विभाग में उपलब्ध कार्मिकों की फॉर्म 'अ 'की जानकारी जो की कार्मिकों का उनके अधीनस्थ कार्यालयों का गोशवारा होता है को दर्ज किए जाने का प्रावधान है ।
3. Op: जिले के कार्यालय प्रमुख को डाटा प्रविष्टि हेतु दिया गया जिससे उनके कार्यालय के कार्मिकों का फॉर्म 'ब' के आधार पर सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने का प्रावधान है।

अंत में जिला स्तर पर कार्यालय को अपने कार्मिकों की जानकारी का मिलान करते हुए Freeze करने का प्रावधान किया गया है कार्यालय द्वारा उक्त Freeze करने की कार्यवाही न करने की दशा में जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के login पर Forcibly Freeze करने का प्रावधान उपलब्ध है।

Offline Module : इसमे मास्टर डाटा के प्रबंधन के लिए प्रावधान है साथ ही online डाटा को Offline में प्राप्त करने ,प्राप्त डाटा को export करने (ms Excel में),Backup हेतु प्रावधान, एवं अन्य कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रावधान किया गया है ,साथ ही समस्त प्रकार के मास्टर डाटा मतदान केंद्रों सहित को देखने ,पुष्टि करने एवं रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु, कार्मिकों को निर्वाचन कार्यों से मुक्त करने ,अन्य निर्वाचन कार्यों हेतु चिन्हनकित कर चयनित करने में प्रथम randomization करते हुए प्रथम प्रशिक्षण हेतु PO,P1 को प्रशिक्षण स्थल मय कक्ष आवंटित करते हुए उनके आदेश तथा उपस्थिति पत्रक निकालने का प्रावधान है। वहीं द्वितीय randomization कर कार्मिकों PO,P1,P2,P3 को प्रशिक्षण हेतु स्थल मय कक्ष आवंटित करते हुए उनके आदेश, उपस्थिति पत्रक प्रिन्ट करना एवं मतदान दल गठित करने की सुविधा है साथ हीं तृतीय randomization की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय randomization के बाद बनाई गई पार्टी को पोलिंग स्टेशन आवंटित करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। साथ ही इसी आधार पर निर्वाचन आदेश प्रिन्ट करने के साथ ही आरक्षित दल की जानकारी उपलब्ध होती है। जिसके आधार पर निर्वाचन दल के निर्गमन स्थल पर किसी प्रकार की आकस्मिक परिस्थियों में निर्वाचन दल के कार्मिकों की तैनाती में तत्समय उपलब्ध विकल्प के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करते हुए दल को गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त इस software में randomization के द्वितीय चरण के पश्चात एवं तृतीय के पूर्व किसी भी कार्मिक का कार्यादेश में आकस्मिक परिवर्तन रिक्तियों के आधार पर उचित कार्मिक का उचित प्रतिस्थापन किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में यह भी ध्यान रखा गया है की प्रत्येक मतदान दल के चारों सदस्य पृथक पृथक कार्यालय के कार्मिक हों इसके साथ ही उपयुक्त पाए गए कार्मिकों का अंतिम कार्यादेश मतदान केंद्र के आवंटन के साथ प्रिन्ट निकालने का प्रावधान है।

जिलों में उपलब्ध अमले से सारे निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न कराना कठिन चुनौती था। जिला स्तर पर स्थानीय रणनीति अलग अलग थी। कहीं पाँच का तो कहीं चार सदस्यी मतदान दल का गठन हुआ। पंचायत चुनाव हेतु महिलायें अपेक्षाकृत कम ही लगायी गई थी वहीं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचन में बहुतायत में तैनात की

गई थीं। अधिकांश जिलों में केन्द्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी जिन्हे उच्च न्यायालय के आदेश के बीच हटाया गया , जिसके कारण 6,8 एवं 13 जुलाई के लिए तैनात लोगों को बदला गया। पाँच चरणों में होने वाले चुनाव के चलते लोगों को दुबारा ड्यूटी पर लिया गया उसके लिए भी software में प्रावधान किया गया Release option द्वारा । स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए मतदान दलों के गठन में अन्य विकासखंडों से कार्मिक random तरीके से लिए गए वहीं शहरी स्थानीय निकायों के लिए दूसरे निकायों या वार्डों या विधानसभा से कार्मिक लिए गये ।

स्थानीय चुनाव 2022 के दौरान सभी आईटी गतिविधियों के प्रदर्शन, प्रबंधन, सत्यापन और निगरानी के लिए एनआईसी को नोडल अधिकारी आई.टी. के रूप में नियुक्त किया गया। अधिकारी-कर्मचारियों के डाटा संग्रहण व प्रबंधन अंतर्गत जिलों के कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों की एंट्री पोर्टल पर की गई ।

विभिन्न विभागों द्वारा डाटा एंट्री को एन.आई.सी. द्वारा परीक्षण किया जाता है एवम् अपूर्ण या त्रुटि होने पर सबंधित कार्यालय से सम्पर्क कर डेटा को अपडेट कराने के पश्चात ही सुरक्षित किया जाता है । मतदान दल के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार की अन्य ड्यूटी जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, एफएसटी, व्हीएसटी, ईएमसी, मीडिया, एमसीएमसी, ईव्हीएम, एफएलसी, सामग्री वितरण, कम्प्यूटर्स के लिए डाटा एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराया गया एवम मार्क किया गया । इसके पश्चात उपलब्ध डेटा का उपयोग मतदान दल गठन किया।

पंचायत चुनाव तीन चरणों में एवं नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न हुआ । प्रत्येक चरण के चुनाव प्रशिक्षण हेतु पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ,मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 4 की ड्यूटी एसाइन करके डाटा एनआईसी के माध्यम से प्रदान किया गया । उपयुक्त अधिकारी कर्मचारियों का डाटा प्रशिक्षण केंद्र एवम स्लॉट अनुसार प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया गया । जिला एनआईसी द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स जैसे कि प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु अधिकारी कर्मचारियों की कार्यालय बार रिपोर्ट, प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षण हेतु प्रदाय की गई ।

मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन निर्वाचन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है जो कि 3 चरणों में संपन्न होती है तीन चरणों के पंचायत चुनाव 25 जून और 1 एवं 8 जुलाई के लिए कुल 9 मतदान दल रेंडमाइजेशन, दो चरणों के नगरीय निकाय चुनाव 6 और 13 जुलाई के लिए कुल 6 मतदान दल रेंडमाइजेशन,इस प्रकार कुल 15 मतदान दल रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया को जिलों की एन.आई.सी. के द्वारा सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया । रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स जैसे मतदान दल के कार्यालय वार आदेश, द्वितीय प्रशिक्षण हेतु दलवार प्रशिक्षण केंद्रवार सूची, उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि तैयार एवम प्रिंट किए गए। लगभग सभी जिलों के NIC द्वारा पीठासीन डायरी से मतदान केंद्रवार मतदान का प्रतिशत निकाला गया। नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम /नगर पालिका परिषद /नगर परिषद) निर्वाचन की दोनों चरण की मतगणना हेतु मतगणना दल का भी गठन भी NIC द्वारा विकसित CEMS की सहायता से रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा किया गया । मतगणना हेतु हॉलवार टेबलवार एक मतगणना पर्यवेक्षक और दो मतगणना सहायकों की नियुक्ति की गई उनके प्रशिक्षण एवं उपस्थिति, नियुक्ति आदेश इत्यादि की रिपोर्ट CEMS द्वारा निकाली गई । सारणीकरण एवं परिणाम पत्रक तैयार किए जाने का कार्य भी स्थानीय जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से किया गया । यह पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की यात्रा लगभग 55 दिनों की रही जिसमे दोनों तरह के स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं नगरीय) के निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए |

-संकलन श्री बी भास्कर राव वैज्ञानिक 'ई'

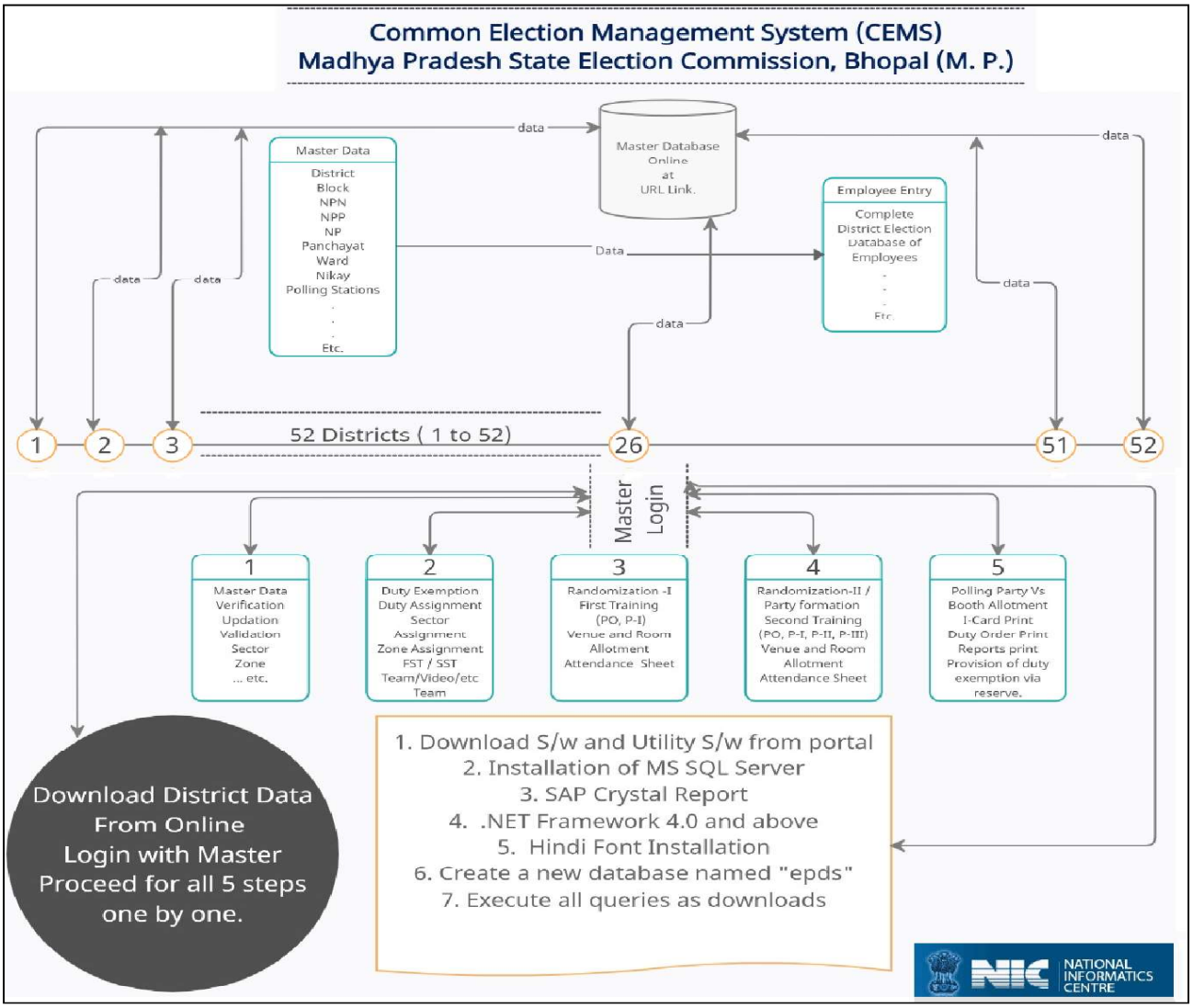

Common Election Management System (CEMS)
Madhya Pradesh State Election Commission, Bhopal (M. P.)
Master Data
District
Block
NPN
NPP
NP
Panchayat
Ward
Nikay
Polling Stations
Etc.
Master Database Online at URL Link.
Employee Entry
Complete District Election Database of Employees
Etc.
data
Data
52 Districts (1 to 52)
1
2
3
26
51
52
Master Login
1
Master Data Verification Updation Validation Sector Zone ... etc.
2
Duty Exemption Duty Assignment Sector Assignment Zone Assignment FST / SST Team/Video/etc Team
3
Randomization -I First Training (PO, P-I) Venue and Room Allotment Attendance Sheet
4
Randomization-II / Party formation Second Training (PO, P-I, P-II, P-III) Venue and Room Allotment Attendance Sheet
5
Polling Party Vs Booth Allotment I-Card Print Duty Order Print Reports print Provision of duty exemption via reserve.
Download District Data From Online Login with Master Proceed for all 5 steps one by one.
1. Download S/w and Utility S/w from portal
2. Installation of MS SQL Server
3. SAP Crystal Report
4. .NET Framework 4.0 and above
5. Hindi Font Installation
6. Create a new database named "epds"
7. Execute all queries as downloads
NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

अशोकनगर